एस. एस. डावर
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय...

(20)

न्यायालय-प्रथम अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, कटनी.

(समक्ष: एस. एस. डावर)

क्रिमिनल अपील क्रमांक-92/2005.
संस्थितदिनांक-7. 7. 2005.

5157/05

मो. सलाम उर्फ लाला कुरेशी, वल्द अब्दुल बक्श,
उम्र लगभग 37 वर्ष, साकिन-बाजार मोहल्ला,
जनपुरी, जिला शहडोल (म. प्र.) ....अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन,
वन परिक्षेत्र रीठी, जिला-कटनी (म. प्र.) ..... प्रत्यर्थी

क्रिमिनल अपील क्रमांक-93/2005.
संस्थितदिनांक- 29. 6. 2005.

(1) मंगलसिंह वल्द तिलकसिंह पारधी, उम्र लगभग 65साल,
निवासी-ग्राम हरदुआ, थाना रीठी, जिलाकटनी, म. प्र.
(2) समोसलाल पितासरदूलालपारधी, उम्र लगभग 35साल,
निवासी-इमलिया मोड़, थाना रीठी,
जिला-कटनी, म.प्र. ..... अपीलार्थीगण

बनाम

म. प्र. शासन,
द्वारा-वन परिक्षेत्र, रीठी, जिला कटनी. ..... अभियोजन.

17-10-05 | अपीलार्थी द्वारा श्री पी0आर0 तिवारी अधिवक्ता।
शासन की ओरसे श्री पाण्डेय ए0 जी0 पी0।
वन विभाग की ओर सेकुमारीमंजुला श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रकरणआजनिर्णय हेतुनियत है।
दा0 अपीलक्रमांक 92/05 एवं 93/05 एक ही घटना एवं एक ही प्रकरण से सबंधित होने से एक साथ निराकरण किया गया। निर्णय पृथक सेटंकित कराकरदिनांकित व हस्ताक्षरित कर न्यायालय मे घोषित किया गया। निर्णय की मूल प्रति दा. पील क्र. 92/05 सलग्न कीगयी एवं कार्बन प्रति इस प्रकरण मे सलग्नकीगयी।

CANCELLED

COURT FEE 2 RS. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 2 RS. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

Order Sheet [Contd]

(5)

Case No. 93/ of 2005

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	निर्णयके अनुसार अपीलार्थी का अपील निरस्तकिया गया। निर्णय की प्रतिलिपि सहित मूल प्रकरण संबंधित न्यायालयको भेजा जाय। निर्णय की प्रतिलिपि जेलअधीक्षक कटनी को भेजा जाय। प्रकरण कापरिणाम पंजी मेदर्ज कर प्रकरणअभिलेखागार जमा किया जाय।	MH 17/10/05
	एस. एस. [illegible] प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति सत्र न्यायाधीश कटनी	

25/5/05
20/10/05
27/10/5
20/10/5
20/10/05
20/10/05
5=50

न्यायालय-प्रथम अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश के द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, कटनी.
=-=

(समक्ष: एस. एस. डावर)

क्रिमिनल अपील क्रमांक-92/2005.
संस्थित दिनांक-7. 7. 2005.

मो. सलाम उर्फ लाला कुरेशी, वल्द अब्दुल बक्श,
उम्र लगभग 37 वर्ष, साकिन-बाजार मोहल्ला,
धनपुरी, जिला शहडोल (म. प्र.) ....अपीलार्थी

बनाम
=====

मध्यप्रदेश शासन,
वन परिक्षेत्र रीठी, जिला-कटनी (म. प्र.) ..... प्रत्यर्थी

- -

क्रिमिनल अपील क्रमांक-93/2005.
संस्थित दिनांक- 29. 6. 2005.

(1) मंगलसिंह वल्द तिलकसिंह पारधी, उम्र लगभग 65साल,
निवासी-ग्राम हरदुआ, थाना रीठी, जिलाकटनी, म. प्र.
(2) समोसलाल पितासरईलालपारधी, उम्र लगभग 35साल,
निवासी-इमलिया मोड़, थाना रीठी,
जिला-कटनी, म. प्र. ..... अपीलार्थीगण

बनाम
====

म. प्र. शासन,
द्वारा-वन परिक्षेत्र, रीठी, जिला कटनी. ..... अभियोजन.

- -

/:/नि ण य/:/
==========
(आजदिनांक- 17. 10. 2005को घोषितकिया)

1. अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथमश्रेणी, कटनी (श्री पी. के. बांदिल) के द्वारा उनके न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक-432/04, पक्षकार मध्यप्रदेश शासन द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी रीठी विरुद्ध मंगलसिंह एवं अन्यदो में पारित निर्णय दंडादेश दिनांक-27. 6. 2005, जिसके अनुसार मंगलसिंह

व समोसलाल को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा-9, 39, 49, 50/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवंआरोपी लाला कुरेशी उर्फ मोहम्मद सलाम के विरूद्ध धारा-49/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के दंडनीय आरोप में दोषी ठहराते हुये, अभियुक्त समोसलाल एवंमंगलसिंह को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9/51 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये केअर्थदण्ड तथा अभियुक्त समोसलाल कोधारा-39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने एवं अभियुक्त लालाकुरेशी कोधारा-49/51 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपयेके अर्थदण्ड से दंडित किया गया, से क्षुब्ध होकरआरोपी/अपीलार्थी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील क्रमांक-92/2005 एवं अपीलार्थी/अभियुक्त मंगलसिंह, समोसलाल द्वारा उक्त निर्णय दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील क्रमांक-93/2005 प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त दोनों ही अपील, जो कि दांडिक प्रकरणक्रमांक-442/2004, पक्षकार मध्यप्रदेश शासन द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी रीठी विरूद्ध मंगलसिंह व अन्य-दो, में पारित निर्णय, दंडादेश दिनांक 27.6.2005 से उद्भूत होने से उक्त दोनो ही आपराधिक अपिल का निराकरण एक साथ किया जा रहाहै।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार होना बताया गया है कि दिनांक 30.6.2004 को वनपाल सी. एम. मिश्रा, अ. सा. 1 को इस आशय की जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि नौवापट्टी के जंगल के कक्ष क्रमांक-0 आर. एफ 105 में कुछ पारधी तेंदुआ मारने के लिए गये हैं, जब वह स्टाफ के भोलासिंह चंदेल, अनिल मिश्रा, रामनाथ तिवारी, एल. पी. तिवारी के साथ नौवापट्टी के जंगल कक्ष क्रमांक-105आर. एफ में गये, तो नौवापट्टी के जंगल जाने वाले रास्ते मे थोड़ा आगे चलने पर उन्हे एक व्यक्ति झाड़ियों के नीचे सिर पर लगाने वाली टॉर्च एवं बांस की लाठी लिये छिपा बैठा मिला, तो उससे पूछताछ करने पर उसव्यक्ति ने अपना नाम समोसलाल बताया। उस व्यक्ति को वन परिक्षेत्र सहायक अ. सा. 1, सी. एम. मिश्रा, ने अभिरक्षा में लेकर उसके कथन लेखबद्ध किये। उसने अपने कथन में यह बताया कि वह मंगलसिंह पारधी के साथ नौवापट्टी के जंगल में तेंदुआ मारने आया

है और उसने अपनेसाथी मंगलसिंह के साथ मिलकर जंगल के इसी रास्ते के आगे तलाब जाने वाले रास्ते पर तेंदुआ फंसाने का फंदा जमीन के अन्दर गड़ाया है। मंगलसिह पारधी, समोसलाल ~~के~~ से थोड़ी दूरी पर बैटरी, स्पीकर, जिसमें भेड़की की आवाज निकलती है लिये हुये बैठा मिला व तेंदुआ को फंदे में फंसने का रास्ता देख रहा था। उनके द्वारा पूछताछ केदौरान कथन में यह बताया गया कि उसने और मंगलसिंह ने मिलकर तेंदुये का शिकार करना और तेंदुये का चमड़ा पन्द्रह हजार रुपये में धनपुरी, जिला शहडोल के लालाकुरेशी को बेचना, जिसमें से दो हजार रुपये समोसलाल ने खर्च करना और शेष तेरहहजार रुपये मंगलसिंह के डेरा में होना बताया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त मंगलसिंह को हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ वनपरिक्षेत्र सहायक के द्वारा किये जाने पर अभियुक्त मंगलसिंह के द्वारा भी उन्हें बताया गया कि समोसलाल के साथ मिलकर उनके द्वारा तेंदुये का शिकार किया और चमड़ाधनपुरी के लालाकुरेशी को पन्द्रह हजाररूपये में विक्रय करना बताया। मंगलसिंह से एक बैटरी, स्पीकर, जिसमें भेड़की की आवाज निकलती थी तथाजमीन के अंदर तेंदुआ फसाने का लोहे का फंदा, जोमंगलसिंह के पेश करने पर जप्त किया, तत्पश्चात् मंगलसिंह के डेरे से मंगलसिह के पेशकरने पर 13,000/-रू. जप्त किया, तत्पश्चात् समोसलाल के बयान के अनुसार समोसलाल से एक लोहे का फंदा एवं तेंदुये की हड्डी जप्तकी व अभियुक्तगण को गिरफ्तारकिया गया, गवाहों के कथन, मौकानक्शा व अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् उनके विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 39, 49, 50/51 के दंडनीय आरोप के अंतर्गत पी.ओ.आर. नं. 2247/10/1.7.2004 काटा गया, बाद अनुसंधान अभियुक्त मंगलसिंह व समोसलाल के विरूद्ध परिवादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. दांडिक प्रकरण क्रमांक-432/04 के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-429द.प्र.सं., जिसके तहत मोहम्मद सलाम उर्फ लालाकुरेशी को अभियुक्त के रूप में संयोजित किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना की गयी थी, जिसे न्यायालय आदेश दिनांक 17.1.2005 के अनुसार स्वीकारकिया जाकर मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी को अभियुक्त रूप में ~~सम्ब~~ संबद्ध किये जाने का आदेश दिया गया, उस क्रम में सम्बद्ध किया गया।

17.10.05
डावर

आरोपी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी को जरिये प्रोडक्शन वारन्ट जेल से आहुत किया गया और दिनांक-17.1.2005 को उसकी गिरफ्तारी ली जाकर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। तत्पश्चात् इस मामले में आरोपी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसर हुयी है।

5. आरोपी मंगलसिंह एवं समोसलाल के विरूद्ध विचारण न्यायालय के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9, 39, 49, 50/51 एवं आरोपी लाला कुरेशी उर्फ मोहम्मद सलाम के विरूद्ध धारा-49/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के दंडनीय अपराध का आरोप लिखकर, पढ़कर सुनाया, समझाया गया, तो उन्होंने उक्त अपराध करनेसे अस्वीकार किया, तथा उनकी तद्‌विषयक प्ली अंकितकिये जाने व अभियोजन को उसके प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करने व प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् साक्ष्य का अवसर समाप्तकिये जाने के पश्चात् आरोपीगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. मे किया गया। आरोपीगण नेअपने आपको निर्दोष होना व उन्हें मामले मे झूठा फंसाया जानेका अभिवाक किया। आरोपीगण ने इस अभिवाक में कोई साक्ष्य प्रमाण पेशनहीं किया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके न्यायालय केदांडिक प्रकरण क्रमांक-432/2004 मे पारित निर्णय दंडादेश दिनांक 27.6.2005 अनुसार आरोपी मंगलसिंह व समोसलाल को आरोपित अपराधधारा-9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के दंडनीय आरोप में दोनों आरोपी को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड एवं आरोपी समोसलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा-39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं अभियुक्त लाला कुरेशी को आरोपितअपराध धारा-49/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम मे दो वर्ष के सश्रम कारावास एव पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा पृथक-पृथक दांडिक अपील (जिनका अपील क्रमांक-92/2005 एवं 93/2005) प्रस्तुत किया गया।

(11)

7. उक्तदोनों ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की सामान्य एवं विशिष्ट आधार इस प्रकार बताया गया है कि अपीलार्थी मंगलसिंह, जोकि 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जिसे आखों सेठीक से दिखायी भी नहीं देता है और वह शिकार करने लायक स्थिति मेंनहीं है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विचार नहीं किया गया। आरोपी मंगलसिंह व समोसलाल, जोदिनांक 30. 6. 2004 को वन्य प्राणी का शिकारकरते हुये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा गया, मात्र वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा काल्पनिक कहानी बनाकर अपीलार्थी को घर में सोते हुये पकड़ लिया गया एवं झूठी कार्यवाही की गयी। अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व मेंभी अवैध शिकार किया जाना, तोकहा गया, परन्तु पूर्व प्रकरणों काकोई प्रमाण पेश नहीं किया गया। इस कारण आरोपी/अपीलार्थी पूर्व में अवैध शिकार कर रहे हो, मानने का कोई अधिकार नहीं है। समोसलाल के आधिपत्य से जप्त हड्डी के चिकित्सीय प्रमाण भी नहीं है और न ही जप्त हड्डी का आकार, प्रकार ही बताया गया है, जो चमड़ा तेंदुये का जप्त किया गया होना बताया गया, वह भी मामलेमें पेश नहीं हुआ। आरोपी सलाम उर्फ लाला कुरेशी के कब्जे से कोई चमड़ा जप्त नहीं किया गया हैऔर इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दंडादेश, जो कि विधि एवं साक्ष्य के विरूद्ध होने से अवैध है और इस कारण उसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्तदोनों ही अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह होगा कि:-

(1) क्या विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दंडादेश दिनांक-27. 6. 2005, साक्ष्य और विधि के विपरीत निष्कर्ष होने से त्रुटिपूर्ण है और इसकारण अपास्त किये जाने योग्य है?

निष्कर्ष केआधार :-
=============

9. मूल अभिलेखागार, अभियोजन साक्षियों के कथनों का तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कियागया।

10. अ. सा. 1, सी. एम. मिश्रा, रीठी रेंज के तत्कालीन वनपाल के द्वारा अपने न्यायालयीनमूलकथन में यह बताया कि दिनांक 30.6.2004 को वह रात्रि के समय भोलासिंह चंदेल, अनिल कुमार मिश्रा, रामनाथ तिवारी एवं एल. पी. तिवारी के साथ नौवापट्टी के जंगल के कक्ष क्रमांक-105 आर. एफ. में गया। जब वह जंगल में गया तो कीमी जंगल जाने के रास्ते में एकव्यक्ति झाड़ियों में छुपा हुआ बैठा, उन्हें दिखा, तो उन्होंने उसे पकड़ा, उसके पास एक बांस की लाठी व सिर में लगानेकी बटॉर्च थी, सिरमें लगाने की टॉर्च मय बेल्ट की थी। उस व्यक्ति को पकड़ा एवं उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम समोसलाल पुत्र सरईलाल पारधी होना बताया। उससे पूछताछकरने पर समोसलाल के द्वारा बताया कि वह मंगलसिंह के साथ जंगल में ~~तेदुंआ~~ तेदुंआ मारने के लिए आया है। मंगलसिंह, जो कि आगे नाले जाने वाले रास्ते में है, उसने व मंगलसिंह ने मिलकर तेदुंआ को फंसाने वाला लोहे का फंदा जमीन में गाड़ कर लगाया है। मंगलसिंह के पास एकबेटरी, स्पीकर है, जिसमें भेड़की की आवाज निकलती है। मंगलसिंह, जो कि जहां उन्होंने फंदा लगाया है, उससे थोड़ी दूरी पर हटकर बैठा हुआ है, उसने और मंगलसिंह ने मिलकर इसके पहले भी एक तेदुंआ मारा था, जिसके चमड़ा को उन्होंने लाला कुरेशी, छनपुरी वाले को 15,000/-रू. में बेच दिया, जिसमें से दो हजार रूपये उसने मंगलसिंह से लिये और 13,000/-रू. मंगलसिंह के पास रखे हुये हैं, समोसलाल के बताने पर दी गयी जानकारी को प्रदर्श पी. 1 के रूप में उसका कथन लेखबद्ध किया गया, जिस पर समोसलाल ने अपने हस्ताक्षर किये व इस साक्षी ने उस पर अपने ब से ब हस्ताक्षर किये होना व गवाहों के भी प्रदर्श पी. 1 पर हस्ताक्षर लिये होना बताया है। समोसलाल के पास रखी टॉर्च एवं बांस की लाठी को उससे प्राप्त कर उसकी जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी. 2 का गवाहों के समक्ष प्राप्त किया और उस पर आरोपी समोसलाल के व उसने ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर लिये व पंचनामा प्रदर्श पी. 3 का तैयार किया।

11. समोसलाल को लेकर समोसलालके बताये स्थान पर गये, जहां मंगलसिंह बैठा था। मंगलसिंह को पकड़कर उससे पूछताछ की, तो उसने भी साथी समोसलाल के साथ जंगल में तेदुंआ मारने केलिए आया हुआ होना व नाले के किनारे के अंदर गाड़कर तेदुंआ फंसाने का फंदा लगाया हुआ होना, मंगलसिंह के पासभी

(12)

भी एक बैटरी व एक स्पीकर था, जिसमें भेड़की की आवाज निकलती थी। मंगलसिंह के द्वारा भी अपने कथन में यह बताया कि इसके पूर्व उन्होंने समोसलाल के साथ मिलकर एक तेंदुआ मारा था, जिसके चमड़ा को लाला कुरेशी, छनपुरी वाले को 15,000/- रू. में बेचा, उसमें से दो हजार रूपया समोसलाल को उसने खर्च के लिए दिया व तेरह हजार रूपया उसके डेरे, जो गांव हरदुआ में है व वहां चलकर उसे दे देना बताया गया। मंगलसिंह के द्वारा उन्हें जब बयान दिया था, जो उन्होंने प्रदर्श पी. 4 के रूप में लेखबद्ध किया गया होना व उसपर मंगलसिंह के अंगूठानिशानी लियेगये, जो ब से ब भाग पर होनाकहा गया है।

12. मंगलसिंह के द्वारा जमीन से निकालकर देने पर एक लोहे का फंदा, एक बैटरी व स्पीकर गवाहों के समक्ष जप्त कर प्रदर्श पी. 5 का जप्ती पंचनामा तैयार किया, जिस पर आरोपीमंगलसिंहकी अंगूठा निशानी प्राप्त किया और मौका पर नजरिये नक्शा प्रदर्श पी. 7 का तैयार किया। तत्पश्चात् वे दोनों आरोपीगणको लेकर उनके डेरा ग्राम हरदुआ गये, जहां मंगलसिंह ने अपने डेरेसे निकालकर तेरह हजार रूपये दिये, जिसे उसने प्रदर्श पी. 8 केअनुसार जप्त कर प्रदर्शपी. 8का जप्ती पंचनामा तैयार किया व मंगलसिंह के हस्ताक्षर प्राप्तलिये।

13. भोलासिंह चंदेल, अ. सा. 2, अनिल कुमार मिश्रा, अ. सा. 3 के द्वारा भी श्री मिश्रा, अ. सा. 1 के द्वारा दिये कथन व प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 10 की की गयी कार्यवाही का समर्थन किया है।

14. प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा उक्त साक्षीगण कोदिनांक 30. 6. 2004 की रात्रि में नौवापट्टी के जंगल के कक्ष क्रमांक 105 में जाने तथा अभियुक्त समोसलाल व मंगलसिंह के आरक्षित वन में पायेजाने के कथन कोकोई चुनौती नही दी गयी है और बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण के कथनो में इस बात पर अत्यधिक बल दियागयाहै कि स्वतंत्र साक्षी की उपलब्धता के संबंध में एवं स्वतंत्र साक्षी मामले में नहीं रखे गयेहोने व समस्त साक्षी वन विभाग के कर्मचारी होने से हितबद्ध होना तो दर्शाया है, परन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जो अनुसंधान अधिकारी सी. एम. मिश्रा, अ. सा. 1 एवं उसके साथ मौजूद भोलासिंह चंदेल, वनरक्षक, अ. सा. 2,

अनिल कुमार मिश्रा, वनरक्षक, अ. सा. 3 से आरोपीगण से द्वेषता रही हो और उस द्वेषता के चलते ही उन्होंने आरोपीगण को मामले में आलिप्त कर दिया होना, इस आशय का कोई सुझाव भी इन साक्षीगण के कथनों में बचाव पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति मे आरोपी समोसलाल व मँगलसिंह ने दिनांक 30. 6. 2004 को नौवापटटी के आरक्षित कक्ष क्रमांक-105 आर. एफ. में वन प्राणी के अवैध शिकार करने के उद्देश्य से तेंदुआ फंसाने का लोहे का उपकरण, मेंढकी की आवाज वाली बैटरी, सिर पर लगाने वाली टॉर्च, लाठी इत्यादि आखेट की जो सामग्री आरोपीगण से जप्त की गयी है, उस आधार पर आरोपीगण, जो कि संरक्षित वन्य प्राणी तेंदुआ के अवैध शिकार के लिए प्रयत्न किया गया होने के संबंध में अभिलेख पर आयी साक्ष्य के विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी समोसलाल एवं समोसलाल के स्वीकारोक्ति कथन प्रदर्श पी. 1 एवं मंगलसिंह के स्वीकारोक्ति कथन प्रदर्श पी. 4 एवं उस आधार पर की गयी जप्ती कार्यवाही, जप्तीकर्ता अधिकारी, सी. एम. मिश्रा, अ. सा. 1 के कथन व उक्त समर्थन साक्षी के कथनों से उसकी पूर्णतः पुष्टि होना पायी जाती है।

15. विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी समोसलाल व मंगलसिंह को दिनांक 30. 6. 2004 को नौवापट्टी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-105 आर. एफ. में वन्य प्राणी तेंदुआ के अवैध शिकार करने के उद्देश्य से तेंदुआ फंसाने का लोहे का उपकरण, मेंढकी की आवाज वाली बैटरी, सिर पर लगाने वाली टॉर्च, लाठी आदि शिकार में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री के साथ तेंदुये का अवैध शिकार करने का प्रयत्न किया होना प्रमाणित मानने के संबंध में जो निष्कर्ष दिया गया है, उस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया, प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों को शामिल नहीं किया गया है, मात्र कबूली बयान के आधार पर बयान के लेखबद्ध करने वाली अधिकारिता वन प्राणी अधिकारियों को नहीं है और इस कारण किया गया अभियोजन त्रुटिपूर्ण है।

16. यह भी तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा किये गये कबूली बयान का उपयोग अभियुक्त के विरूद्ध एवं सहअभियुक्त के विरूद्ध ग्राह्य

(13)

योग्य नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष की ओर से न्यायदृष्टांत III ﴾1995﴿ सी. सी. आर. 761, आरसिंह उर्फ आरू व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य प्रस्तुत किया है।

17. उक्त न्यायदृष्टांत, जो कि इस प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न है, इस मामले के आरोपी समोसलाल एवं मंगलसिंह, जो कि आरक्षित वन में अवैध शिकार के आशय से आखेट करने की सामग्री के साथ पकड़े गये हैं और इस कारण बचाव पक्ष को उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18. इस मामले के वन अधिकारी सी. एम. मिश्रा, अ. सा. 1 के द्वारा की गयी कार्यवाही, जो न्यायदृष्टांत 1990 एफ. एल. टी. 22 केरल उच्चन्यायालय फारेस्ट रेंज आफीसर विरूद्ध अबु बकर कौरा में यह प्रतिपादित किया गया है कि वन अधिकारी वन अपराध से संबंधित जो कथन लेखबद्ध करता है, वह कथन पुलिस के समक्ष दिये गये कथन की परिधि में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में वन अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये कथनों का उपयोग संस्वीकृति की भांति किया जासकता है और ऐसी संस्वीकृति अभियुक्त के विरूद्ध साबित की जा सकती है और उक्त न्यायदृष्टांत के क्रम में अनुसंधान अधिकारी सी. एम. मिश्रा, अ. सा. 1 के द्वारा आरोपी समोसलाल के द्वारा उसके समक्ष की गयी ~~संस्वीकृति~~ स्वीकारोक्ति प्रदर्श पी. 1 एवं आरोपी मंगलसिंह द्वारा उनके समक्ष की गयी संस्वीकृति प्रदर्श पी. 4 स्वीकार योग्य है और जो साक्ष्य से प्रमाणित है।

19. अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य के पूर्णतः विवेचन और अभिलेख पर आयी साक्ष्य के विश्वसनीयता की परख के आधार पर आधारित है और इस प्रकार आरोपी समोसलाल व मंगलसिंह कोउनके विरूद्ध आरोपित अपराध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-9/51 तथा अभियुक्त समोसलाल को धारा-39/51 में सिद्धदोष ठहराने के संबंध में दिया गया निष्कर्ष पूर्णतः उचित है, यह निष्कर्ष निकालने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि कीगयी होना नहीं पाया जाता है।

20. जहां तक आरोपी लालाकुरेशी के विरूद्ध धारा-49/51 का अपराध प्रमाणित पाने के संबंध में अभियोजन द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य जो कि अभियुक्त समोसलाल के द्वारा दिये स्वीकारोक्ति कथन प्रदर्श पी. 1 एवं अभियुक्त

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES CANCELLED

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES CANCELLED

एस. एल. डोबाल 7-10-2
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
...

मंगलसिंह के द्वारा दिये गये स्वीकारोक्ति कथन प्रदर्श पी. 2 पर आधारित होना कहा गया है। यहांयह उल्लेख करना उचित होगा कि इसमामले के आरोपी लाला कुरेशी, जिसे मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी भी कहा गया है, जो कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटनी श्री रामजीलाल ताम्रकार के न्यायालयमें प्रचलित दांडिक प्र. क्र. 224/04, जो वन्य प्राणीसंरक्षण अधिनियम की धारा-51 एवं 49बी एवं 48ए के दंडनीय अपराध के आरोप का विचाराधीन बंदी था, जिसे इसमामले में आरोपी के रूप में संयोजित किये जाने संबंधी अभियोजन की ओरसे प्रस्तुत आवेदनअंतर्गत धारा-319 दं. प्र. सं. का प्रस्तुत करने पर न्यायालय आदेश दिनांक 17. 1. 2005 के अनुसार संयोजित किया गया है व इस मामले में उसके विरूद्ध धारा-49, 41 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के दंडनीय अपराध का आरोप आरोपित किया गया है, यह कार्यवाही इस प्रकरण में के विचारण के दौरान की गयी है।

21. हालांकि, बचाव पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का कहीं कोई अभिवाक नहीं किया कि आरोपी मोहम्मदसलाम उर्फ लाला कुरेशी को पूर्व में ही अपराध धारा-48ए, 51 एवं 49बी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का आरोप आरोपित है व उसमें उसे दोषी करार दिया गया है, चूंकि आरोपी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी, जो कि पूर्वमें प्रचलित मामले में दोषी करार दिया जा चुका है, वैसी स्थिति में दं. प्र. सं. की धारा-300 के, प्रावधान केअनुसार जिसमें "एकबार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति को उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाना, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एकबार विचारण किया जाचुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है, तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यो पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा, जिसके उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप से भिन्नधारा-221 की उपधारा-(1) केअधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा-(2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था। "विचारण नहीं किया जा सकता।

(14)

22. आरोपी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला के विरूद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटनी, श्रीरामजीलाल ताम्रकार के न्यायालय में प्रचलित दांडिक प्र. क्र. 224/2004 में पारित निर्णय दिनांक 27. 12. 2004 के अनुसार उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा-51, 49बी, 48ए वन्य प्राणी संरक्षण अधि0के आरोप में पारित निर्णय दिनांक 27. 12. 2004 अनुसार तीनवर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाचुका होने कीस्थिति स्पष्ट होती है। आरोपी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी के विरूद्ध प्रचलित उक्त मामले में उसके आधिपत्य से अवैध रूप से व्यापारिक उद्देश्य से रखी गयी 6 तेंदुये की खाले रखे जाने के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया है। इस कारण इस मामले में आरोपी लाला उर्फ मोहम्मद सलाम को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा-49/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में दोषी ठहराये जाने संबंधी पारित निर्णय दंडादेश, चूंकि उसे पूर्व में उसी अपराध में व उसी अपराध में संबंधित सम्पत्ति के संबंध में दांडिक प्र. क्र. 224/04, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटनी के न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया चुका है। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-300 के उक्त प्रावधान अनुसार उसी अपराध कारित करने में पुन:उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अत:अभियुक्त सलाम उर्फ लाला कुरेशी को इसमामले में दंडित किया जाने के संबंध में पारित निर्णय दण्डादेश दिनांक 27. 6. 05 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अत: अभियुक्त मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी के द्वारा प्रस्तुत दांडिक अपील क्र. 92/2005 स्वीकार किये जाने योग्य होना पायी जाती है। अत:उक्त अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/आरोपी मोहम्मद सलाम उर्फ लाला कुरेशी के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा-49/51 ब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित निर्णय दंडादेश दिनांक 27. 6. 2005 अपास्त किया जाता है।

23. अपीलार्थी मंगलसिंह व समोसलाल के द्वारा प्रस्तुत की गयी दांडिक अपील क्रमांक-93/05 में दर्शित आधार स्वीकार कियेजाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त समोसलाल एवं मंगलसिंह को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-9/51 एवं अभियुक्त समोसलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा-39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में दोषी ठहराये जाने संबंधी निर्णय, जो कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं तत्संबंधी विधि के समुचित विवेचन के आधार पर आधारित है। अत:उसमें किसी प्रकार

की कोई त्रुटि की जाना नहीं पाया जाता है। अत: अभियुक्त समोसलाल एवं मंगलसिंह के विरूद्ध पारित निर्णय दण्डादेश दिनांक -27. 6. 2005 की पुष्टि की जाती है।

24. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में दर्शित आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अत:अपीलार्थी मंगलसिंह व समोसलाल के द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक-93/2005 निरस्त की जाती है। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के व्ययन के संबंध दियेगये आदेश में भी किसी प्रकार की त्रुटि की गयी होना परिलक्षित नहीं होता है। अत: संपत्ति के व्ययन के संबंध में दियेगये निष्कर्ष की भी पुष्टि की जाती है।

निर्णय पारित कर घोषित किया।

(एस. एस. डावर)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश के
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, कटनी

निर्णय मेरे वक्तव्यपर टंकित।

(एस. एस. डावर)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश के
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, कटनी.

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
सत्र न्यायाधीश